कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 21-04-2024

विषयः- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में की गई अपराध समीक्षा गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 21-04-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये –

- **जनता से न हो दुर्व्यवहार**
- **शत-प्रतिशत FIR का पंजीकरण**
- **Traffic जाम के लिए थानेदार होंगे जिम्मेदार**
- **घाटों पर नशीला पदार्थ बेचने वालों पर हो सख्त कार्यवाही**

1. लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत सिक्योरिटी प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
2. वांछित अपराधियों व वारंटियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी किये जाने व निरोधात्मक कार्यवाही यथा गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम आदि के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. थाना क्षेत्र के टॉप-10/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके क्रियाकलापों की निगरानी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. महिला सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में संवेदनशीलता पूर्वक त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. लम्बित एस.आर. केस, आरोपियों की वर्तमान स्थिति, गैंगेस्टर की कार्यवाही व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

6. थाने पर आये आगन्तुकों/फरियादियों से प्राप्त शिकायतों की कम्प्यूटर में फीडिंग की जाये और आवेदक को प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाये एवं शिकायतों का थाना स्तर पर ही निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. आम जनमानस से पुलिसकर्मी शालिनतापूर्वक व्यवहार करें, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिसकर्मी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

8. वाराणसी आने वाले पर्यटकों के साथ किसी प्रकार की घटना घटित न हो, पर्यटन के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मंदिर, घाटों व बाजारों में भीड़ की आड़ में अपराध कारित करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाये।

9. यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिक जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित कर यातायात पुलिस के साथ स्थानीय थानों से भी ड्यूटी लगाई जाये तथा जाम लगने पर थाना प्रभारी स्वयं मौके पर जाकर यातायात संचालन में सहयोग करें। आरटीओ एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए शहर के अन्दर से अवैध/डग्गामार वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

10. घाटों पर मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रयोग करने वाले अराजक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा घाटों पर भी पुलिस बल तैनात किया जाये।

11. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर एवं आस-पास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाते हुए पाये जाने पर कठोर विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

12. थाना क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जाये।

13. ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की समीक्षा करते हुए अन्य महत्वपूर्ण चौराहों आदि स्थानों को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाए एवं थाना में कण्ट्रोल रूम बनाकर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी किये जाने के निर्देश दिए गये ।

14. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना क्षेत्र में होने वाली वाहन चोरी/नकबजनी व अन्य चोरियों के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

15. बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग/रात्रि गश्त नियमित रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। गस्त के दौरान आमजनमानस से संवाद भी स्थापित करें।

दिनांक 16.03.2024 से अब तक कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण-

1. 107/116(3) द0प्र0सं0 – 30,324 व्यक्ति
2. 151 द0प्र0सं0 की कार्यवाही— 1245 व्यक्ति
3. अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी—55 अभियुक्तों से 122.094 कि0ग्रा0 गांजा, 0.268 कि0ग्रा0 हेरोइन व 0.245 कि0ग्रा0 अन्य मादक पदार्थ बरामद।
4. अवैध शराब की बरामदगी—258 व्यक्तियों से 3078 ली0 देशी शराब व 90.81 ली0 अंग्रेजी शराब बरामद।
5. अवैध शस्त्र/कारतूस की बरामदगी— 61 शस्त्र/66 कारतूस
6. गुण्डा एक्ट/ गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही— 154 व्यक्ति
7. लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये- 7204

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।